

पत्रांक-न0रू0यो0-70/2026-
मुख्य अभियंता का कार्यालय,
केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण,
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना।

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-05,
मुजफ्फरपुर,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक

/2026.

विषय:-

तिरहुत नहर प्रमंडल-1, बेतिया अन्तर्गत तिरहुत मुख्य नहर के कि०मी०-102.108 (मुख्यमंत्री सेतु योजना अन्तर्गत Construction of HL RCC Bridge in place of Damage Bridge over Tirhut canal in K.R. Uchya Vidyalay, Bettiah to Dhumnagar Road) पर पुल निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक-II/मु0अ0-5, विविध-09-21/26'870 (अनु0), दिनांक 23.05.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निदेशानुसार तिरहुत नहर प्रमंडल-1, बेतिया अन्तर्गत तिरहुत मुख्य नहर के कि०मी०-102.108 (मुख्यमंत्री सेतु योजना अन्तर्गत Construction of HL RCC Bridge in place of Damage Bridge over Tirhut canal in K.R. Uchya Vidyalay, Bettiah to Dhumnagar Road) पर पुल निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने निमित्त सैद्धान्तिक सहमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. ग्रामीण कार्य विभाग का तिरहुत मुख्य नहर के कि० मी० 102.108 पर निर्माण किये जाने वाले ब्रिज का निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप कराना सुनिश्चित कराना होगा।
2. नहर के बाँध को किसी प्रकार की क्षति न हो। पुल निर्माण कार्य के दौरान अथवा पश्चात् पूर्व में निर्मित नहर तटबंध या नहर सेवापथ का कोई भाग क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में नहर बाँध की मरम्मत एवं संपोषण का कार्य एवं व्यय का वहन कार्यकारी विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग) द्वारा किया जाएगा।
3. पाईल कैप एवं एबटमेंट कैप नहर के रूपांकित बेड लेवल से 600 mm नीचे रखना होगा।
4. Abutment का लोकेशन इस तरह से निर्धारित हो कि सेवापथ अवरुद्ध नहीं हो।
5. ब्रीज के Girder का Bottom Level IRC के मानकों के अनुरूप रखना होगा।
6. नहर के दोनों किनारे बर्म पर पड़ने वाले Abutment के U/S एवं D/S में 50-50m तक की दूरी में Boulder slope protection work कराना होगा।
7. कार्यस्थल के आवश्यक स्थलों पर Danger Post लगाना होगा, जिससे कि आमजनों इत्यादि का इस ओर ध्यान आकृष्ट हो सके।
8. पुल निर्माण के दौरान नहर के धारा/जलप्रवाह को किसी भी परिस्थिति में अवरुद्ध नहीं करना होगा ताकि कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न नहीं हो।
9. पुल निर्माण के दौरान सभी अपेक्षित राष्ट्रीय मानकों का पूर्णतः पालन किया जाएगा।
10. तिरहुत मुख्य नहर के चाट भूमि या नहर के किसी भी भाग से मिट्टी नहीं काटी जायेगी एवं नहर के बेड लेवल को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा।
11. यह सुनिश्चित करना होगा की पुल निर्माण के कारण किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। नहर का रूपांकित आँकड़े, नहर सेवापथ एवं इसके Formation level आदि को अक्षुण्ण रखना होगा। कार्य के दौरान जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का परामर्श/दिशानिर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।

12. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुए किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Materials को पूर्ण रूप से हटाना होगा।
13. पुल निर्माण में किसी प्रकार दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही ग्रामीण कार्य विभाग की होगी।
14. पुल के निर्माण से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा।
15. कार्य कराते वक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा।
16. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन के क्रम में सैद्धान्तिक सहमति सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है एवं अन्य विभागों से यदि आवश्यक हो तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।
17. कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को ससमय देना होगा।
18. किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
19. कार्य के दौरान नहर द्वारा कराये जा रहे पटवन को किसी भी परिस्थिति में अवरुद्ध नहीं किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान सिंचाई बाधित न हो सुनिश्चित किया जायेगा।
20. Clear Waterway किसी भी परिस्थिति में पूर्व से कम नहीं होना चाहिए।
21. प्रथम चरण के अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति में दिये गये शर्तों को समाहित करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को उपलब्ध कराना होगा।
22. द्वितीय चरण अन्तर्गत अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि **“प्रस्तावित संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है”**।
23. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं करने पर निर्गत सैद्धान्तिक सहमति पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(ब्रजेश मोहन),

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्रांक-न0रू0यो0-70/2026-

पटना, दिनांक

/2026.

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी/अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, बेतिया/कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्र0-1, बेतिया को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र में दिये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्रांक-न0रू0यो0-70/2026-

318

पटना, दिनांक

25/08 /2026.

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय